संख्या-23/2017/264/22-4-17-107(ब)/12टी0सी0

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 31 मार्च, 2017

विषय- प्रदेश की 20 कारागारों में सीसीटीवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि का अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-9289/आधु0-1/सीसीटीवी-वैल्यूम-2/2015, दिनांक 25 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की 20 कारागारों में सीसीटीवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना कराये जाने हेतु श्रीटॉन पावरट्रानिक्स लि0 के पक्ष में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 4,14,58,000/- के अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अत: उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 20 कारागारों में सीसीटीवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना कराये जाने हेतु मूल स्वीकृत धनराशि रू0 4,14,58,000/- के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1,65,83,200/-(रूपये एक करोड़ पैंसठ लाख तिरासी हजार दो सौ मात्र) श्रीटॉन पावरट्रानिक्स लि0 को आहरित कर अग्रिम भुगतान की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मदेार होंगे।

(4) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उसके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(6) महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(7) प्रक्योरमेण्ट मैनुअल 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 व 11.18 के अनुसार 40 प्रतिशत की धनराशि ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) अग्रिम धनराशि के समतुल्य कार्यदायी संस्था से बैंक गारण्टी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-137/दस-2017, दिनांक- 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-23/2017/264(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) निदेशक, श्रीटॉन पावरट्रानिक्स लि0, अपट्रान बिल्डिंग, नियर गोमती बैराज, लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (लेखा) अनुभाग-1

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in